# [Secretary]

that in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Select Committees shall apply with such variations and modifications as the Chairman may mrke;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the Monsoon Session of the Rajya Sabha; and

that this House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do join in the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by the Lok Sabha to the Joint Committee."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 2nd March, 1978, agreed without any amendment to the Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 1978, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st February, 1978."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 2nd March, 1**97**8, agreed without any amendment to the Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1978, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd February, 1978."

## 12.34 hrs.

### COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

#### FIFTH REPORT

SHRI DURGA CHAND (Kangra): 'I beg to present the Fifth Report of the Committee on Subordinate Legislation. 12.04 hrs.

## BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 6th March, 1978, will consist of:

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's order Paper.

(2) General discussion on the General Budget for 1978-79.

भी हुकम बन्द कछवाय (उज्जैन) : मध्यक्ष महोदय, माज सारे देश के मन्दर मौद्योगिक शान्ति भंग है मौर मजदूरों में काफ़ी उत्तेजना फैली हुई है। मैं माननीम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मौद्योगिक मशान्ति मौर मजदूरों में फैली हुई उत्तेजना को देखते हुए---गुप्त-मतदान के माध्यम से यूनियनों को मान्यता मिले---ऐसा बिल माप कब तक लाने का विचार कर रहे हैं, ताकि यूनियनों की मान्यता के प्रश्न को लेकर सभी उद्योगों में मौर देश में जो झगड़े पंदा हो रहें हैं, उत्तेजना फल रही है, कारदाने बन्द हो रहे हैं, मशान्ति फेल रही है, वह समाप्त हो सके ?

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर): म्रध्यक्ष महोदय, वस्त्र उद्योग- निगम ढारा संचालित जो कपड़ा मिल हैं ग्रौर विशेष कर जो मध्य प्रदेश में संचालित कपड़ा मिल हैं, उनके कुप्रबन्ध के कारण, म्रव्यवस्था ग्रौर उसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि वहां क तीन मिलें बन्द होने की स्थिति में ग्रा गई हैं। यदि वहां की वे तीन मिल बन्द हो जाती है तो हजारों श्रमिकों को म्रपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा ग्रौर बेकारी का सामना करना पड़ेगा । इस विषय पर मेरा निवेदन यह है कि वस्त्र उद्योग निगम की जो कार्य प्रणाली है या इस निगम के द्वारा संचालित मिलों की जो कार्य प्रणाली है, उस के कारण करोड़ों रुपयों का घाटा इन मिलों में हो रहा है। उसे ठीक किया जाये अन्यथा हानि निरन्तर बढ़ेगी। इसलिए सदन इस विषय पर विचार करे ग्रौर इस मद को सदन के विचार के लिए म्रगले सप्ताह ही कार्य सूची में जोड़ा जाए।

एक ग्रौर विषय है जिस का मैं जिक कर देना चाहता हूं। चीनी के बारे में जो पालिसी या नीति बताई गई है, उस में गन्ना उत्पादकों के हितों | के संरक्षण का कोई वर्णन नहीं किया गया है । मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि गन्ना उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है। उन को राज्य सरकारों के द्वारा निर्धारित मल्यों ग्रौर केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्यों का निश्चित रूप से निर्धारित ग्रवधि में पेमेण्ट किया जाए, इस तरह का उल्लेख वक्तब्य में नहीं है। म्राज गन्ना उत्पादक ग्रत्यन्त दुःखी व चितित हैं। उसे कोई संरक्षण नहीं है। इस-लिए मैं यह चाहता र कि इस विषय को ग्रगले सप्ताह में होने वाली कार्यवाही में डाला जाए जिस से सदन में उस पर विचार किया का सके।

12.06 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE CARDAMOM BOARD

बाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति झौर सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी कृष्ण कुमार गोयल) : सें श्री आरिफ बेग की मोर सें निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता ह्रं:---

"कि इलायची मधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) 3817 LS-9.

के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा मध्यक्ष निर्देश दे. उक्त ग्रधिनियम के ग्रन्य उपबन्धों के ग्रध्यधीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए म्रपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : मैंने जो प्रेश्न किया है, उस का मंत्री जी जवाब दें। सदन में हमें उस का जवाब चाहिए। ऐसी परम्परा यहां रही है।

MR. SPEAKER: Your suggestion will be considered by the Business Advisory Committee.

श्री हकम चन्द कछवायः हम ने सदन में सवाल पूछा है कि मंत्री महोदय यह ,बिल कब लाना चाहते हैं, यह सदन में बताबें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। पहले भी सदन में मंत्री जी जवाब देते रहे हैं। ग्रगर ग्राप ग्राफ़िस सें पूछ लें तो ग्राप को इस बात का पता लग जाएगा कि जवाब देने की परम्परायहां रही है।

MR. SPEAKER: He cannot give you the reply. He can only send it back to the Business Advisory Committee for consideration. He is not deciding about the allotment of time.

श्री हकम चन्द कछवाय : मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है मौर सारे देश से इस का सम्बन्ध है ग्रौर सरकार उस पर विचार कर चुकी है। मैं समझता हं कि गप्त मतदान के बारे में सरकार विचार कर चुकी है। इसलिए मैं म्राप के माध्यम से मंत्री महोदय सें यह निवेदन करता हं कि वे सदन को यह बताएं कि वे इस बिल को कब लाना चाहते हैं। इस बात की घोषणा वे माज करें कि वे इस बिल को इस सेशन में लावेंगे या नहीं?